

क्रम
संख्या

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

आदेश पर की गई¹
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

3

अभिलेख उपस्थापित।

अन्नतलाल चौधरी, पिता-रव0 वृज लाल चौधरी, ग्राम-होसिर, पोर्ट-डाढ़ी, थाना-गिद्धी, जिला-हजारीबाग छारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-डाढ़ी, मौजा-होसिर, थाना नं0-44, आता संख्या-55, प्लॉट संख्या-680, रकवा-8.25 डी0, भूमि योगिता कुमारी, पति-पन्नालाल कुमार, ग्राम-होसिर, पोर्ट-डाढ़ी, थाना-गिद्धी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-451/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक-2480/रा0 दिनांक-07.07.2022 छारा अंचल अधिकारी, डाढ़ी को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, डाढ़ी हजारीबाग के पत्रांक-112 दिनांक-20.03.2023 के छारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति छारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, डाढ़ी हजारीबाग छारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता पिछड़ी जाति के अन्तर्गत है एवं एक ही जिला हजारीबाग के निवासी हैं। आवेदित भूमि आवेदक को खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि ऐयती है। खतियानी ऐयत लधु महतो हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 37.33 एकड़ भूमि है। पंजी-॥ अनुसार जमाबंदी ऐयत छारा रकवा 35.1169 एकड़ है। पंजी-॥ के पृष्ठ संख्या-140/II पर रघु चौधरी वगैरो के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2021-22 तक लगान रसीद निर्गत है। जमाबंदी ऐयत आवेदक के परदादा है। आवेदक छारा धारित कुल रकवा/आवेदक के हिस्से की भूमि 2.925 एकड़ है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 2.8433 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत भूमि का द्रेस नवशा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नवशा में प्रस्तावित भूमि का चौहड़ी भी अंकित किया गया है।

1

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

आदेश
कार्यवाह
टिप्पणी

अंचल अधिकारी, डाढ़ी हजारीबाग द्वारा विक्रेताओं को छोटानागपुर कारतकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, डाढ़ी हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में अन्नतलाल चौधरी, पिता-स्व० वृज लाल चौधरी, ग्राम-होसिर, पोस्ट-डाढ़ी, थाना-गिद्धी, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कारतकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-डाढ़ी, मौजा-होसिर, थाना नं0-44, खाता संख्या-55, प्लॉट संख्या-680, रकवा-8.25 डी०, भूमि योगिता कुमारी, पति-पञ्चलाल कुमार, ग्राम-होसिर, पोस्ट-डाढ़ी, थाना-गिद्धी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।